राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )(ब.घो.)डीएलबी/23/3356 दिनांक 16/8/2023

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना कमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण **ग्राम पंचायत मुण्डावर, गांधीनगर एवं श्योपुर (जिला अलवर)** को सम्मिलित करते हुए एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से **चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है** :–

क्र. सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र एंव जनसंख्या
01.	**अलवर**	**मुण्डावर**	**ग्राम पंचायत मुण्डावर, गांधीनगर एवं श्योपुर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम ग्रांम पंचायत मुण्डावर के राजस्व ग्रांम मुण्डावर, ग्रांम पंचायत गांधीनगर के राजस्व ग्रांम गांधीनगर, गढी, तिनकीरूडी , एवं ग्रांम पंचायत श्योपुर के राजस्व ग्रांम श्योपुर, रैणागिरी, शीतलपुर , मोहम्मदपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए जनंसख्या – 15,739 (जनगणना 2011 के अनुसार)**

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2023–24 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुण्डावर, गांधीनगर एवं श्योपुर की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रांम ग्रांम पंचायत मुण्डावर के राजस्व ग्रांम मुण्डावर, ग्रांम पंचायत गांधीनगर के राजस्व ग्रांम गांधीनगर, गढी, तिनकीरूडी , एवं ग्रांम पंचायत श्योपुर के राजस्व ग्रांम श्योपुर, रैणागिरी, शीतलपुर , मोहम्मदपुर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना कमांक 2025 दि. 1/6/21 के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत मुण्डावर के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्रांम पंचायत गांधीनगर के निर्वाचित सरपंच को उपाध्यक्ष एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव